IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

Order

The 29th September, 1989

No. 725/Drg./Amb.—Whereas the land described in the Haryana Government Declaration No. 722/Drg./Ambala, dated 14th August, 1989, issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expenses of the Irrigation Department, Haryana for a public purpose, namely, for the canalizing Chutang Nallah U/S Ambala Jagadhri Road R.D. 5000—64700 in Villages Gadhaula, Kotar Khana, Sagilpur Jattan, Talakaur, Nagla Jagir, Bal Chhapar, Pabni Kalan, Mahasheri, Shahopura and Habatpur, Tehsil Jagadhri, District Ambala.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collecter, Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

By the order of Governor of Haryana,

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Drainage Circle, Karnal.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 29 सितम्बर, 1989

क्रमांक 797–ज–2–89/28556.—श्री सांवल सिंह, पुत्र श्री मगनी सिंह, निवासी गांव धरचाना, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1412–ज–2–76/23360, द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज–1–79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सांवल सिंह की दिनांक 1 मई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सांवल सिंह की विधवा श्रीमती जतन बाई के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 860–ज–1–89/28560.—श्री चिरंजी लाल, पुत्र श्री सालग राम, निवासी गांव नांगल सिरोही, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2486–ज–II–81/1442, दिनांक 13 जनवरी, 1982 द्वारा 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री चिरंजी लाल की दिनांक 10 मार्च, 1987 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चिरंजी लाल की विधवा श्रीमती सारादेवी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तो के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 748-ज-2-89/28564.—श्री मनसा राम, पुत्र श्री कुरड़ीया, निवासी गांव खुड़डन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5088–जे–3—66/12405, दिनांक 16 जून, 1966 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041–आर–3–70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789–ज–1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़कर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री मनसा राम की दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मनसा राम की विधवा श्रीमती सरती के नाम रबी, 1989 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

पी० के० बाली,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।